MAHATMA JYOTIBA PHULE RUHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांकः रू.वि.वि/नोडल/2025/41

दिनांक: 08 / 10 / 2025

छात्रवृत्ति सूचना

सेवा मे.

प्राचार्य / प्राचार्या (राजकीय / अशासकीय / स्ववित्तपोशित)

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषय:-छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र 2024-25 वंचित समस्त वर्गो के छात्रों एवं संस्था के लिए पोर्टल खोले जाने के सम्बद्ध में।

महोदय / महोदया,

उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या 160/2025/2690/26—3—2025—1961934 दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 के क्रम में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024—25, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की समय सारिणी के अनुसार, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली से संबन्धित नवीन/पूर्व से संचालित महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है, सत्र 2024—25 हेतु छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्रों एवं संस्था के लिए 10 अक्टूबर, 2025 से 14 अक्टूबर, 2025 तक मास्टर डाटा लॉक करने हेतु पोर्टल पुनः खोला जा रहा है, अगर किसी संस्था का मास्टर डाटा डिजिटल लॉक करने से वंचित रह गया है, वह अपनी संस्था का मास्टर डाटा डिजिटल लॉक करके उसकी हार्ड कॉपी नोडल अधिकारी कार्यालय विश्वविद्यालय परिसर में श्री उमेश कुमार के पास दिनांक 17/10/2025 शाम 4:00 बजे तक निम्नलिखित प्रपत्रों के साथ फाइल जमा कराने का कष्ट करें—

 कविरंग लेटर 2. डिजिटल लॉक मास्टर डाटा कॉलेज प्रोफाइल सिंहत 3.सम्बद्धता पत्र 4. अनुमोदन पत्र (प्राचार्य/प्राचार्या) 5. आइस कोड(AISHE Certificate) 6. आधार कार्ड की छायाप्रति (प्राचार्य/प्राचार्या, नोडल अधिकारी) 7. पैन कार्ड की छायाप्रति(प्राचार्य/प्राचार्या, नोडल अधिकारी) 8. सत्र 2024–25 छात्रवृत्ति प्राप्त

छात्र-छात्राए की सूची 9. निम्नलिखित प्रारूप।

क्रम सं0	महाविद्यालय में संचालित पाठयक्रम /विषय के नाम	स्वीकृत सीटों की संख्या	सम्बद्धता की रिथति (स्थाई / अस्थाई	स्थाई /अस्थाई सत्र

अतः कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि एवं समय तक अपने महाविद्यालय का मास्टर डाटा संलग्नकों सिहत जमा कराने का कष्ट करें। उक्तनिर्धारित तिथि के पश्चात मास्टर डाटा को अग्रसरित कर पाना संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में यदि महाविद्यालय के छात्र—छात्राएँ छात्रवृत्ति हेतु आवेदन भरने से वंचित रह जाते हैं तो उसका पूर्ण उत्तरदियत्व सम्बन्धित महाविद्यालय का होगा।

प्रो0 (पी०बी० सिंह) वि०वि० नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ

2. कुलसचिव, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड वि०वि बरेली।

3. निजि सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ हेतु।

4. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

प्रो० (पी०बी० सिंह) वि०वि०नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति 'n

प्रेषक,

एस०पी० गोयल मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 👓 अक्टूबर, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-2025 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्रों के लिए पोर्टल खोला जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 2526/स0क0/शिक्षा-अ/9/2025-26 दिनांक 29 मई, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-2025 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्रों के लिए पोर्टल खोले जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- तत्क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-2025 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत वंचित सभी वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु निम्नानुसार समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:-

CAO == NIC | GHEZ DM/CDO/DD/

सूम्या विभाग व

41 E 47 (5 m)

CCHIET

क्र0		समयावधि
	मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही	
1	संस्थान द्वारा मास्टर डाटा लॉक करना (कक्षा 11-12 को छोड़कर) मास्टर डाटा में प्रदेश की पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार ऐफिलिएटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	10 अक्टूबर, 2025 से 14 अक्टूबर, 2025 तक
2 मेश)	विश्वविद्यालय/ऐफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा फीस आदि का सत्यापन प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/ ऐफिलिएटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से	18 अक्टूबर, 2025 तक
(के। व	्रिज़िला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन प्रदेश के अन्दर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना।	26 अक्टूबर, 2025 तक

	छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की	प्रकिया
	छात्र स्तर स आनलाइन आवदग्र नुगरा ।	27 अक्टूबर, 2025 से
4	छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन आवेदन	31 अक्टूबर, 2025 तक
5	छात्रों द्वारा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालना छात्रों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन का फाइनल सब्भिशन किया जाना।	01 नवम्बर, 2025 तक
6	हार्ड कापी को छात्रों द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्रों द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	01 नवम्बर, 2025 तक
7	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्रों के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	02 नवम्बर, 2025 तक
8	विश्वविद्यालय/ऐफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं ऐफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था में अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना; अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	03 नवम्बर, 2025 से 06 नवम्बर, 2025 तक
9	एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी	03 नवम्बर, 2025 से
	PFMS सॉफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लॉगिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र के लॉगिन पर उपलब्ध कराना।	07 नवम्बर, 2025 तक
10		08 नवम्बर, 2025 से 11 नवम्बर, 2025 तक
11	पुनः अग्रसारित कराना शिक्षण संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों के आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	12 नवम्बर, 2025 तक
12	एन०आई०सी० द्वारा पुनः स्कूटनी छात्रों द्वारा सही किए गए सन्देहास्पद डाटा को एन०आई०सी० की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण करके जनपदीय लॉगिन पर उपलब्ध कराना।	13 नवम्बर, 2025 से 18 नवम्बर, 2025 तक
13		08 नवम्बर, 2025 से 25 नवम्बर, 2025 तक

	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	
14	मांग सृजन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिप्रेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	27 नवम्बर, 2025
15	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड/NPCI से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही।	28 नवम्बर, 2025

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुए सुसंगत शासनादेशों/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्रों को पोर्टल खोलते हुए समयान्तर्गत छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) का भुगतान सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

मुख्य सचिव

पृ0सं0 एवं दिनाक तदैव। प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।

2- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।

- 3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

6- निदेशक, कोषागार, उ०प्र० लखनऊ।

7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्पाण, उ०प्र० लखनऊ।

मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- निर्देशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।

10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

११- गार्ड फाईल।